ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2007 से 03/2014

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स सोसाईटोयों की परिवहन से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी पांवटा साहिब के अवधि 04/2007 से 03/2014 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण, इस विभाग के श्री विरेन्द्र कुमार (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 3.12.2014 से 12.01.2015 के दौरान उपमण्डल अधिकारी (ना0) पौन्टा साहिब के कार्यालय परिसर में सम्पन्न किया गया दर्शाया गया है। आय की विस्तृत ज़ाँच के लिए माह 1/08, 3/09, 1/10, 8/10, 2/12, 3/13 व 6/13 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 11/07, 12/08, 2/10, 3/11, 2/12, 10/12 व 4/13 के लेखों का चयन किया गया। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी सिरमौर का गठन सभाऐं पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित अधिनियम 1973) के अन्तर्गत दिनाँक 18.11.2005 को पंजोकरण संख्या 109/2005 के अन्तर्गत हुआ।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	6	सेवा शुल्क (User Charges) के रूप में प्राप्त राशि में से 25% भाग की राशि को राजकीय कोष में जमा न करवाना	7.09
2	7	EPBX System की Installation पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताऐं	0.62
3	9	बिजली के बिलों के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	3.68
4	12	Air Conditioner इत्यादि की आपूर्ति तथा Installation हेतु राशि का अनियमित भुगतान करना	0.24

(ग) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष व सदस्य रहेः–

क्र0सं0	नाम	पद	अवधि
1	श्री आर0एस0 नेगी	अध्यक्ष	14.07.05 से 18.01.08
2	श्री पुष्पिन्द्र राजपूत	अध्यक्ष	18.01.09 से 18.06.09
3	श्री पदम सिंह चौहान	अध्यक्ष	06.07.09 से 29.01.11
4	श्रीमती मीरा मोहन्ती	अध्यक्ष	29.01.11 से 03.04.12
5	श्री पदम सिंह चौहान	अध्यक्ष	30.04.12 से 04.01.13
6	श्री प्रियतु मण्डल	अध्यक्ष	04.01.13 से 04.07.13
7	श्री विकास लाबरू	अध्यक्ष	04.04.13 से 27.08.14

8	श्रीमती अमिता महाजन	सदस्य	09.05.06 से 19.06.07
9	श्री सन्दीप कुमार	सदस्य	19.06.07 से 31.10.07
10	श्री अमरजीत सिंह	सदस्य	31.10.07 से 08.01.08
11	श्री सन्दीप कुमार	सदस्य	14.01.08 से 30.06.08
12	श्री मनमोहन शर्मा	सदस्य	01.07.08 से 30.05.11
13	श्री विजय कुमार	सदस्य	16.06.11 से 20.05.12
14	श्री ताशी सन्डुप	सदस्य	25.05.12 से 11.01.13
15	श्री सरवन भान्टा	सदस्य	15.01.13 से लगातार

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पाँवटा साहिब द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पाँवटा साहिब के अवधि 06/2007 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹14000/– आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकोय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या एल0ए0 (वी0के0) 2014–2015 (SMR)–91 दिनाँक 12.01.15 द्वारा उपमण्डल अधिकारी (ना0) एवं सदस्य ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी पाँवटा से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पाँवटा साहिब द्वारा सोसाईटी परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित राशियो ंके अतिरिक्त उपमण्डल पाँवटा साहिब के अन्तर्गत आने वाली तहसीलों तथा उप–तहसीलों में भूमि दस्तावेजों के पंजीकरण तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों व भूमि के पर्चे इत्यादि जारी करने से सम्बन्धित सभी सेवाओं को प्रदान करने पर प्राप्त सेवा शुल्क की राशि को भी वित्तीय स्थिति में दर्शाया गया है, क्योंकि तहसीलों/उप तहसीलों से पाप्त राशियों का ईन्द्राज भी संयुक्त रूप से रोकड़ बही में करके प्राप्त राशियों को एक ही खाते में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त आय में से व्यय भी संयुक्त रूप से एक ही बचत खाते में से किया गया है। परिणाम स्वरूप ई0 गवर्नेन्स सासाईटी द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की गई अर्थात सोसाईटी द्वारा समस्त गतिविधियों से सम्बन्धित समेकित वित्तीय स्थिति ही तैयार

की गई है, जोकि **परिशिष्ट "क"** पर संलग्ति है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि व इसके पश्चात परिवहन गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क तथा इससे सम्बन्धित व्यय का अलग से लेखा तैयार करके तथा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति को भी अलग से तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4 बैंक समाधान विवरणिकाः—

परिशिष्ट "क" पर वित्तीय स्थिति के नीचे वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में ₹16650/— के चैक जारी किए गए दर्शाए गए हैं जोकि बैंक में 31.3.14 तक प्रस्तुत नहीं हुए है। अतः इन चैकों का विवरण देकर इनके बैंक में प्रस्तुत होने को वास्तविक तिथि को भी अंकित किया जाए। इसी प्रकार बैंक समाधान विवरणिका में ₹908/— का ब्याज जोकि बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया परन्तु रोकड़ बही में नहीं लिया गया को भी दर्शाया गया है। अतः ब्याज की उक्त राशि का विवरण देकर इसे रोकड़ बही में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 निवेशः—

ई—गवर्नेन्स सोसाईटी पाँवटा साहिब क लेखों में से अंकेक्षण अवधि के दौरान किसी भी राशि का निवेश सावधि जमा योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

6 सेवा शुल्क (User Charges) के रूप में प्राप्त राशि में से 25% भाग की ₹709353/— को राजकीय कोष में जमा न करवानाः—

जाँच के दौरान पाया गया कि ई0—गवर्नेन्स सोसाईटी पाँवटा साहिब द्वारा निम्न विवरणानुसार परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाऐं प्रदान करने पर वर्ष 2011 से मार्च 2014 के दौरान सेवा शुल्क के रूप में ₹2837415/— एकत्रित की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इस राशि का 25% भाग अर्थात ₹709353/— को राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

क्र0सं0	अवधि जिस में सेवा शुल्क राशि प्राप्त की गई	प्राप्त कुल राशि	25% भाग
1	2011 से 31.07.13	1961070	490267
2	01.08.13 से 31.03.14	876345	219086
	कुल योग	**2837415**	**709353**

परन्तु उक्त अवधि के दौरान एकत्रित ₹2837415/— के 25% भाग के रूप में ₹709353 को राजकीय कोष में जमा न करवाकर लगभग सम्पूर्ण राशि को अध्यक्ष एवं जिलाधीश सिरमौर स्थित नाहन के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया जोकि प्रदेश सरकार के

आदेशों की अवहेलना है। अतः नियमों के अनुसार 25% राशि को राजकीय कोष में जमा न करवाने के कारण स्पष्ट करते हुए शीघ्र ही अपेक्षित राशि राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मामला जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी सिरमौर से उठाया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7 EPBX System की Installation पर व्यय की गई ₹62000/– से सम्बन्धित अनियमितताऐं:–

वाऊचर संख्या शून्य, दिनाँक 16.11.07 द्वारा निम्नविवरणानुसार सामान की आपूर्ति हेतु कुल राशि में से ₹62000/– का भुगतान मैसर्ज Silver Communcation & Electronics देहरादून को उनके बिल संख्या 2027 दिनाँक शून्य के एवज में किया गया।

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Intrim Epbx System	1 Unit	32500	32500
2	Telephone Instuments	16 No.	395	6320
3	MDF Box	2 No.	1850	3700
4	PVC Fitting	950 Mtr.	18	17100
5	Shakti PVC wire	52 Mtr.	55	2860
6	Installation Charges		2000	2000
				64480
			Vat 4%	**2579**
			Total	**67059**

उपरोक्त वाऊचर की जाँच करने पर निम्नविवरणानुसार अनियमितताऐं पाई गई जिनका निपटारा करके किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये।

(क) उपरोक्त वर्णित EPBX System हेतु किया गया व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT (1) 3/2000-e-Governance दिनाँक 03.09.2005 के अनुसार ई0 गवर्नेन्स निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः अनियमित रूप से किये गये इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की विशेष स्वीकृति लेकर इसे नियमित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) उपरोक्त वर्णित EPBX System की कार्यालय में स्थापना (Installation) से सम्बन्धित तकनीकी Report सम्बन्धित फर्म से प्राप्त नहीं दी गई है, जिसे प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 औपचारिकताऐं पूर्ण किये बगैर ही कार्यालय हेतु फर्नीचर इत्यादि की खरीद करना:–

जाँच के दौरान पाया गया कि ₹31200/– का भुगतान मै0 अनुराग फर्नीचर देहरादून को उनके बिल संख्या 421 दिनाँक 24.11.2007 के एवज में निम्नविवरणानुसार फर्नीचर की आपूर्ति हेतु किया गया।

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	कम्पयूटर टेबल	1 नं0	1800	1800
2	कम्पयूटर चेयर	4 नं0	950	3800
3	कम्पयूटर चैम्बर	1 नं0	16000	16000
4	अलमारी	2 नं0	4800	9600
		कुल योग		**31200**

उपरोक्त बिल की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(क) उपरोक्त वर्णित फर्नीचर को क्रय करने से पूर्व क्रय सम्बन्धी किसी भी औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया। नियमों के अनुसार यह खरीद किसी दर संविदा फर्म से अथवा खुले बाजार से निविदाऐं इत्यादि आमन्त्रित करके न्यूनतम मूल्य के आधार पर की जानी अपेक्षित थी ताकि बाजारी प्रतिस्पर्धा का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता, परन्तु सासोईटी द्वारा नियमों की अवहेलना करके यह खरीद बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किए ही की गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस अनियमितता को नियमित करवाया जाये।

(ख) उपरोक्त विवरणानुसार क्रय किये गये फर्नीचर की कार्यालय में वास्तविक प्राप्ति तथा गुणवता की जाँच किसी कमेटी द्वारा नहीं की गई है क्योंकि क्रय किये गये फर्नीचर का ईन्द्राज नियमों के अनुसार स्टॉक व सम्पत्ति रजिस्टर पर नहीं किया गया है जिसके कारण स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब क्रय किये गये फर्नीचर का स्टॉक ईन्द्राज स्टॉक व प्रापर्टी रजिस्टर पर किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

9 बिजली के बिलों क रूप में ₹368838/– का अनियमित भुगतान करनाः–

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को निम्न विवरणानुसार बिजली के बिलों के रूप में ₹297185/– का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	मीटर सं0	दिनाँक	राशि
1	डी एन–862	17.02.12	195000
2	111224046935	4/13	102185
		कुल योग	**297185**

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F(1)3-2000-e Governance, Dated Shimla 3.9.05 की मद संख्या 3 (b) के अनुसार यह भुगतान इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है तथा न ही इस भुगतान को सोसाईटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। अतः नियमों की अवहेलना करके उक्त भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए सम्पूर्ण

राशि की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) इसी प्रकार वाउचर संख्या शून्य, दिनाँक 3.10.12 द्वारा ₹71653/– का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को रसीद संख्या 669674 दिनाँक 03.10.2012 द्वारा मीटर संख्या DV/862, 4H1100007 के बिल के रूप में किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि उपरोक्त बिल के भुगतान हेतु अध्यक्ष, ई0 गवर्नेन्स समिति सिरमौर द्वारा 25**%** User Charges में से व्यय करन की स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि नियमो ंके अनुसार 25**%** User Charges को राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अवहेलना करके 25**%** user charges की राशि में से बिजली बिल को भुगतान करने का कारण स्पष्ट किए जाए तथा अविलम्ब इस राशि की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके अपेक्षित राशि खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 क्रय किए गए कम्पयूटर प्रिन्टर को स्टॉक व प्रापर्टी रजिस्टर पर दर्ज न करनाः–

₹14175/– का भुगतान मै0 High Tech Computers पौंटा साहिब को उनके बिल संख्या 729 दिनाँक 22.10.10 के एवज में 1 नं0 कम्पयूटर प्रिन्टर की आपूर्ति हेतु किया गया। नियमानुसार कम्पयूटर प्रिन्टर को स्टॉक व प्रापर्टी रजिस्टर पर दर्ज किया जाना अपेक्षित था, परन्तु न तो कार्यालय में इसकी प्राप्ति की जाँच रिपोर्ट किसी कमेटी द्वारा दी गई और न ही इसका ईन्द्राज स्टॉक व प्रापर्टी रजिस्टर पर किया गया जिसके कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इसका ईन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टरों पर किया जाये।

11 बैटरियों इत्यादि के क्रय पर ₹43800/– का अनियमित भुगतान करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा ₹43800/– का भुगतान मै0 भारत ओटोमोबाईल पौंटा साहिब को उनके बिल संख्या 747 दिनाँक 22.8.2012 के एवज में 12 नं0 (Exide SMF Battaries) की आपूर्ति हेतु किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि उपरोक्त वर्णित बैटरियों की खरीद हेतु स्वीकृति उपमण्डल अधिकारी (ना0) द्वारा रीडर तथा कानूनगो शाखा में लगे UPS हेतु दी गई। नियमों के अनुसार केवल ई–गवर्नेन्स समिति की स्वीकृति के पश्चात ही यह क्रय किया जा सकता था। अतः नियमों की अवहेलना करके किये गये इस व्यय को ई–गवर्नेन्स समिति से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित क्रय की गई बैटरियों के स्टॉक इन्द्राज से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख

अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं करवाए गए। अतः वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करके किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

12 Air Conditioner इत्यादि की आपूर्ति तथा Installation हेतु ₹24130/– का अनियमित भुगतान करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार Invoice संख्या 252 दिनाँक 4.7.2012 द्वारा ₹24130/– का भुगतान Ready Sales PVT LTD नाहन को 2 नं0 AC की आपूर्ति हेतु किया गया।

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Split AC 1.5T odv	1 नं0	12200	12200
2	Split AC 1.5T ridv	1 नं0	6200	6200
3	Window AC Gas Filling	–	2000	2000
4	AC Fitting Charges	–	1200	1200
			4% Vat on 1 & 2	21600
				2530
			योग	**₹24130**

बिल की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका निपटारा करके किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये।

(क) उपरोक्त वर्णित AC के मूल्य से सम्बन्धित सूचि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रस्तुत नहीं करवाई गई जिसके परिणामस्वरूप किये गये भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितता के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त वर्णित AC को Install करने के पश्चात कम्पनी के अधिकृत कर्मचारी द्वारा Installation Report दी जानी अपेक्षित थी जबकि सम्बन्धित अधिकृत कर्मचारी द्वारा Install करने के पश्चात लिखित में Report नहीं दो गई है।

(ग) नियमों के अनुसार कार्यालय में AC की प्राप्ति के पश्चात सोसाईटी द्वारा समिति के सदस्यों द्वारा Inspection करके Report दी जानी अपेक्षित थी, परन्तु कार्यालय में उपरोक्त वर्णित AC की जाँच Report किसी समिति द्वारा नहीं दी गई।

(घ) उपरोक्त वर्णित **Air Conditioner** हेतु किया गया व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT (1) 3/2000-e-Governance दिनाँक 03.09.2005 के अनुसार ई0 गवर्नेन्स निधि पर वैध प्रभार नहीं है।

अतः अनियमित रूप से किये गये इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की विशेष स्वोकृति लेकर इसे नियमित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 **Air Conditioner की मुरम्मत इत्यादि पर किए गए ₹7500/– के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताऐंः–**

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा वाउचर संख्या शून्य, दिनाँक 17.10.12 के अन्तर्गत ₹7500/– का भुगतान मै0 Morden Electronics पौंटा साहिब को उनके Cash Memo संख्या 14 दिनाँक 17.8.2012 के एवज में AC इत्यादि की मुरम्मत हेतु किया गया। बिल की जाँच करने पर निम्नविवरणानुसार अनियमितताऐं पाई गई जिनका निपटारा करके किये गये व्यय को उचित ठहराया जाए।

(क) उपरोक्त वर्णित AC जिस शाखा से सम्बन्धित था उसके द्वारा इसके खराब होने की कोई सूचना लिखित में नियन्त्रण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करवाई गई।

(ख) Air Conditioner की मुरम्मत के पश्चात सम्बन्धित Engineer द्वारा इसकी Working Report नहीं दी गई।

(ग) सोसाईटी द्वारा उपरोक्त वर्णित भुगतान आपूर्तिकर्ता के सादे कागज पर बनाए गये बिल आधार पर कर दिया गया जबकि नियमों के अनुसार सम्बन्धित फर्म द्वारा मुद्रित बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

(घ) उपरोक्त वर्णित **Air Conditioner** की मुरम्मत हेतु किया गया व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT (1) 3/2000-e-Governance दिनाँक 03.09.2005 के अनुसार ई0 गवर्नेन्स निधि पर वैध प्रभार नहीं है।

अतः अनियमित रूप से किये गये इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की विशेष स्वीकृति लेकर इसे नियमित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 **₹117/– का अधिक भुगतान करनाः–**

जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा निम्न वर्णित ₹14788/– के बिलों के विरूद्ध मै0 High Tech Computers पौंटा साहिब को ₹149.05 का भुगतान दिनाँक 17.10.2012 को किया गया।

क्र0सं0	विवरण	बिल सं0	दिनाँक	राशि
1	Cartage Refil etc	223	09.07.12	1050
2	Paper A4 etc	215	03.07.12	1313
3	Cartrige Refil etc	384	25.09.12	350

4	A4 sige Rim	287	25.08.12	2625
5	A4 sige Rim	395	01.10.12	9450
			योग	**₹14788**

इस प्रकार (₹14905–₹14788=₹117) का अधिक भुगतान उक्त आपूर्तिकर्ता को किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा अविलम्ब ₹117/– की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके इसे वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 रोकड़ बही तथा लेखों का का रख रखाव नियमानुसार न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000–ई0 गवर्नेन्स, दिनाँक 3.9.2005 की धारा 3 (ए) क अनुसार, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख रखाव नियमानुसार सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़बही की शेष राशि तथा बैंक में शेष राशि का मिलान बैंक समाधान विवरणो को तैयार करनी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet भी तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का रख रखाव सही ढ़ंग से किया गया है न ही Ledger (खाते) तैयार किए गये है। उपरोक्त के अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा नियमानुसार Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet भी तैयार नहीं की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही तथा Ledger के साथ बैंक समाधान विवरणी का समय–2 पर तैयार की जाए तथा प्रत्येक वर्ष सोसाईटी की Income & Expenditure Statement तथा Balance Shhet भी तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए।

16 जनवरी, 2010 की प्राप्तियो से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

ई–गवर्नेस सोसाईटी द्वारा माह जनवरी, 2010 में सेवा शुल्क के रूप में वसूली गई राशियों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं करवाए गए, जिसके अभाव में उक्त मास में प्राप्त राशियों की जाँच अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्भव नहीं हो सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख को जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करवाकर इनका सत्यापन करवाया जाए।

17 स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स (आर0एल0ए0) निधि स क्रय किये गये तथा ई0–गवर्नेन्स केन्द्रीय ईकाई नाहन से प्राप्त सामान का स्टॉक स्टॉक रजिस्टर में ईन्द्राज नियमानुसार नहीं किया गया है अपितु अधिकतर सामान जोकि (केन्द्रीय ईकाई) नाहन से प्राप्त

किया गया है उसे स्टॉक रजिस्टर पर दर्ज ही नहीं किया गया है। नियमों के अनुसार ई0–गवर्नेन्स निधि से क्रय तथा ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन से प्राप्त प्रत्येक सामान को स्टॉक रजिस्टर पर प्रकृति के आधार पर Consumable तथा Non Consumable सामान को सम्पत्ति रजिस्टर पर दर्ज किया जाना अपेक्षित था, जबकि केवल मात्र ई0 गवर्नेन्स (आर0एल0ए0) पौंटा द्वारा क्रय किये गये सामान के बिल के आधार पर एक ही पृष्ठ पर दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक नियत तिथि को किसी भी वस्तु की कुल मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गत किसी भी वर्ष में सोसाईटी के स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापना (Physical Verfication) नहीं करवाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना अनिवार्य रूप से करवाई जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वस्तु को स्टॉक पर दर्ज न करने तथा स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमों के अनुसार न करने व सम्पत्ति रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अविलम्ब ई गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) के सामान व सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाकर प्रत्येक सामान को नियमानुसार Consumable तथा Non Consumable सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए।

18 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई नाहन से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) पौंटा साहिब को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) पौंटा साहिब से केन्द्रीय ईकाई नाहन को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्स के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई नाहन से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 लघु आपत्ति विवरणीः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 निष्कर्षः– लेखाओं के रख रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)36/2015–2417–2421 दिनांक16.05.2015, शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव आर0एल0ए0 पौंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण पतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश सिरमौर जिला सिरमौर (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02
5 श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.